क्रम-संख्या–166(क-1)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 8 मई, 2026

बैशाख 18, 1948 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2

———————

संख्या 1117 / 81–2–2026–29(05)–2025

लखनऊ, 8 मई, 2026

———————

अधिसूचना

प0आ0–261

चूँकि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या–16 सन् 1927) के अधीन 'संरक्षित वन' के रूप में घोषित किये जाने के लिये प्रस्तावित की गयी है;

और, चूँकि, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यह परीक्षण कर लिया गया है कि पूर्वोक्त भूमि को संरक्षित वन के रूप में घोषित करने से किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का वंचन नहीं किया जा रहा है:

अतएव, अब, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि को इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से 'संरक्षित वन' घोषित करते हैं और यह भी अधिसूचित किया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित किन्हीं नियमों के अधीन समस्त ऋतुओं में उक्त भूमि पर प्रदत्त समस्त अधिकार और विशेषाधिकार अबाध रूप से जारी रहेंगे।

अनूसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम का नाम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	सीमा विवरण
1	2	3	4	5	6	7
आजमगढ़	सदर	निजामाबाद	सेंहदा	ब्लाक–1 919 मि0 920	0.1230 0.1090	**उत्तर**– गाटा संख्या 900 एवं गाटा संख्या 918 (चकमार्ग) **दक्षिण**– गाटा संख्या 921 (चकमार्ग) **पूरब**– गाटा संख्या 900 **पश्चिम**– गाटा संख्या 919 (शेष भाग)

1	2	3	4	5	6	7
				ब्लाक–2 922 मि0 924 मि0 925 मि0 926 927 मि0 928 मि0 929	 0.2570 0.1120 0.3576 0.0740 0.0760 0.3061 0.0260	**उत्तर**– गाटा संख्या 922 (शेष भाग), गाटा संख्या 924 (शेष भाग), गाटा संख्या 900 एवं गाटा संख्या 907 (नाला) **दक्षिण**– गाटा संख्या 900 एवं गाटा संख्या 925 (शेष भाग) **पूरब**– गाटा संख्या 923 (चकमार्ग से सटा), गाटा संख्या 900 एवं शेष भाग. गाटा संख्या 924 (शेष भाग), 927 (शेष भाग) एवं 928 (शेष भाग) **पश्चिम**– गाटा संख्या 907 (नाला), गाटा संख्या 900, गाटा संख्या 924 (शेष भाग), गाटा संख्या 925 (शेष भाग)
				ब्लाक–3 930	 0.1420	**उत्तर**– गाटा संख्या 907 (नाला) **दक्षिण**– गाटा संख्या 931 **पूरब**– गाटा संख्या 900 **पश्चिम**– गाटा संख्या 907 (नाला)
				ब्लाक–4 933 मि0 936 मि0 937	 0.0208 0.0285 0.0850	**उत्तर**– गाटा संख्या 900 एवं गाटा संख्या 936 (शेष भाग) **दक्षिण**– गाटा संख्या 932, 934, 935, 938 एवं 939 **पूरब**– गाटा संख्या 935, गाटा संख्या 940 (चकमार्ग) एवं गाटा संख्या 900 **पश्चिम**– गाटा संख्या 933 (शेष भाग), 936 (शेष भाग) एवं गाटा संख्या 900
				ब्लाक–5 872	 0.0340	**उत्तर**– गाटा संख्या 873 एवं गाटा संख्या 876 (चकमार्ग) **दक्षिण**– गाटा संख्या 100 एवं गाटा संख्या 871 **पूरब**– गाटा संख्या 871, 873 एवं 875 **पश्चिम**– गाटा संख्या 874
				ब्लाक–6 883 मि0	 0.0860	**उत्तर**– गाटा संख्या 885 **दक्षिण**– गाटा संख्या 900 **पूरब**– गाटा संख्या 883 (शेष भाग) **पश्चिम**– गाटा संख्या 884 (चकमार्ग)
				ब्लाक–7 889 890 मि0	 0.1920 0.1040	**उत्तर**– गाटा संख्या 900 **दक्षिण**– गाटा संख्या 888 (चकमार्ग) **पूरब**– गाटा संख्या 890 (शेष भाग) **पश्चिम**– गाटा संख्या 888 (चकमार्ग)
				कुल	2.1330	

आज्ञा से,
वी0 हेकाली झिमोमी,
प्रमुख सचिव।

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.1117/LXXXI-2-2026-29(05)-2025, dated May 8, 2026.

No. 1117/LXXXI-2-2026-29(05)-2025

Dated Lucknow, May 8, 2026

WHEREAS the land mentioned in the Schedule below has been proposed to be declared as 'protected forest' under the Indian Forest Act, 1927 (Act no. 16 of 1927);

AND WHEREAS, it has been examined under sub-section (3) of Section 29 of the aforesaid Act that no rights of any person are being deprived by declaring the aforesaid land as protected forest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under Section 29 of the aforesaid Act, the Governor is pleased to declare the land mentioned in the Schedule below to be "protected forest" from the date of publication of this notification in the Official *Gazette* and it is also notified that all rights and privileges conferred on the said land across all seasons under any rules published by the State Government shall continue unabated.

SCHEDULE

District	Tehsil	Pargana	Name of Village	Gata no.	Area (in Hectares)	Boundary Description
1	2	3	4	5	6	7
Azamgarh	Sadar	Niazamabad	Sehda	Block-1 919Mi 920	 0.1230 0.1090	**North**- Gata no. 900 and Gata no. 918 (Chakmarg) **South**- Gata no. 921 (Chakmarg) **East**- Gata no. 900 **West**- Gata no. 919 (Remaining part)
				Block-2 922Mi 924 Mi 925 Mi 926 927 Mi 928 Mi 929	 0.2570 0.1120 0.3576 0.0740 0.0760 0.3061 0.0260	**North**-Gata no. 922 (Remaining part) Gata no. 924 (Remaining part) & Gata no. 900 & Gata no. 907 (Nala) **South**-Gata no. 900 & Gata no. 925 (Remaining part) **East**-Gata no. 923 (Sat by the Chakmarg), Gata no. 900, Gata no. 924 (Remaining part), Gata no. 927 (Remaining part) Gata no. 928 (Remaining part). **West**-Gata no. 907 (Nala), Gata no. 900 & Gata no. 924 (Remaining part), Gata no. 925 (Remaining part).
				Block-3 930	 0.1420	**North**-Gata no. 907 (Nala) **South**-Gata no. 931 **East**-Gata no. 900 **West**-Gata no. 907 (Nala)

1	2	3	4	5	6	7
				Block-4 933Mi 936 Mi 937	0.0208 0.0285 0.0850	**North**-Gata no. 900 & Gata no. 936 (Remaining Part) **South**-Gata no. 932, 934, 935, 938 & 939 **East**-Gata no. 935, Gata no. 940 (Chakmarg) & Gata no. 900 **West**-Gata no. 933 (Remaining Part), Gata no. 936 (Remaining Part) Gata no. 900
				Block-5 872	0.0340	**North**-Gata no. 873 & Gata no. 876 (Chakmarg) **South**-Gata no. 900 & Gata no. 871 **East**-Gata no. 871, 873 & 875 **West**-Gata no. 874
				Block-6 883 Mi	0.0860	**North**-Gata no. 885 **South**-Gata no. 900 **East**-Gata no. 883 (Remaining Part) **West**-Gata no. 884 (Chakmarg)
				Block-7 889 890 Mi	0.1920 0.1040	**North**-Gata no. 900 **South**-Gata no. 888 (Chakmarg) **East**-Gata no. 890 (Remaining Part) **West**-Gata no. 888 (Chakmarg)
				Total	2.1330	

By order,
V. HEKALI ZHIMOMI,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 128 राजपत्र–2026–(268)–599+25=624 प्रतियां (डी0टी0पी0/ऑफसेट)।